

# कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

का.आ.सं०—संपदा / आवा०आवं०—वरीयता सूची / 2022—23 / जा०-२९३

दिनांक:—18.11.2021

## कार्यालय आदेश

### आर. ब्लॉक आवासीय परिसर

वर्ष 2022 के लिए आर. ब्लॉक स्थित टाईप I से IV सरकारी आवास प्राप्त करने के इच्छुक महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना एवं प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना के पात्र अधिकारियों/ कर्मचारियों से आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाते हैं।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना के अधिकारी/कर्मचारी सुस्पष्ट आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में अपने शाखा अधिकारी को समर्पित करेंगे, जिसे संबंधित शाखा अधिकारी (पूर्ण रूप से भरे आवेदनों को) अपने स्तर से सूचना का सत्यापन कर एक साथ सभी आवेदन पत्र दिनांक 03.12.2021 तक संपदा अनुभाग में समर्पित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना, एवं उपनिदेशक, केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना के अधिकारी/कर्मचारी आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में अपने ही कार्यालय को समर्पित करेंगे। उपरोक्त कार्यालय अपने स्तर से पूर्ण रूप से भरे सुस्पष्ट आवेदन पत्रों को नियुक्ति की तिथि, जन्म तिथि, वर्तमान परिलिंग्धियाँ, ग्रेड वेतन (Pre-revised), वरीयता तथा गृह निर्माण हेतु लिए गए अग्रिम की सूचना का सत्यापन कर इस कार्यालय को दिनांक 03.12.2021 तक अग्रसारित करेंगे। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त/अग्रसारित आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

वैसे अधिकारी/कर्मचारी जो नियुक्ति या स्थानांतरण के बाद अपना योगदान पटना कार्यालय में देते हैं, वे योगदान की तिथि से एक माह के अंदर आवेदन दे सकते हैं। किसी प्रकार के तथ्यों को छिपाने, गलत विवरण प्रस्तुत करने या एक से अधिक आवेदन जमा करने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है, साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। आवेदक आर. ब्लॉक या महालेखाकार कार्यालय परिसर स्थित आवास में से केवल एक स्थान के लिए ही आवेदन करें अन्यथा उनका आवेदन रद्द किया जा सकता है।

हस्तांक/

वरीय उप महालेखाकार (प्रशासन)

ज्ञापांक:— संपदा—आवास— आवं०— वरीयता सूची—2022-23/

दिनांक: 18.11.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना के सचिव।
2. सभी स्कंध अधिकारी।
3. व०ले०आ० (प्रशासन), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना, एवं व०ले०प०आ०/केन्द्रीय प्रक्षेत्र।
4. व.ले.प.अ./मुख्यालय ( AMG-I,II,III,IV,V ) से अनुरोध है कि अपने प्रक्षेत्र में पदस्थापिअधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय आदेश का परिचालन करवाना सुनिश्चित करें।
5. व०ले०प०आ०/AMS- से अनुरोध है कि कार्यालय के बेबसाइट पर कार्यालय आदेश को प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करें।
6. सभी व०ले०प०आ०
7. सूचना पट्ट

*18/11/2021*  
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी / संपदा

# कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

वैसे व्यक्तियों द्वारा भरा जाना चाहिए, जिन्हें महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आवास का आवंटन नहीं किया गया है।

वर्ष 2022 के लिए सरकारी आवास आवंटन हेतु

## आवेदन पत्र

1. नाम एवं पदनाम (अंग्रेजी के बडे अक्षरों में) –
2. यूनिक आई0 डी0 सं0 –
3. कार्यालय एवं अनुभाग –
4. मूल वेतन (Revised 7<sup>th</sup> CPC) :–
5. परिलब्धियाँ / वेतन मैट्रिक्स :–
6. ग्रेड वेतन (Pre-Revised 6<sup>th</sup> CPC) :–
7. वर्ग (UR/OBC/SC/ST) :–
8. स्थाई/अस्थाई –
9. जन्म तिथि –
10. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के पटना कार्यालयों में नियुक्ति की तिथि –
11. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के पटना कार्यालयों में नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार के किसी भी सरकारी विभाग में योगदान की तिथि (यदि कोई हो) –
12. पूर्व के सेवा को नियमित किया गया है :–(हॉ / नहीं) –  
(यदि हॉ तो कार्यालय आदेश की प्रति संलग्न करें )
13. टाईप जिसके पात्र हैं –
14. पूर्व स्थानापन्न एवं पत्राचार पता के साथ कार्य स्थल –
15. आवेदक को सरकारी आवास के आवंटन से कभी वंचित किया गया है, (यदि हॉ, तो कब और किस तिथि तक) –
16. क्या आवेदक को पूर्व में कोई सरकारी आवास आवंटित किया गया है, (यदि हॉ तो कब और क्यों) –
17. पूर्व में आवंटित आवास को आवेदक द्वारा अस्वीकृत किया गया है, (यदि हॉ तो कब और क्यों) –
18. क्या आवेदक द्वारा अपने अथवा अपने दम्पति के नाम पर इस कार्यालय के अतिरिक्त किसी दूसरे प्राधिकारी द्वारा आवंटित क्वार्टर दखल कब्जे में है, यदि हॉ, तो क्वार्टर नं0 एवं स्थापना का नाम –
19. क्या आवेदक के दम्पति कहीं कार्यरत है, यदि हॉ, तो संगठन का नाम, जहाँ नियुक्त है, के साथ पदनाम, आहरित किये जाने वाले वेतन, आवास भत्ते आदि का विवरण दें –
20. क्या आवेदक अपने नाम अथवा परिवार के अन्य सदस्य जो आवेदक पर पूरी तरह से आश्रित है, के नाम पर पटना अथवा पाश्वर्वती, म्यूनिसीपल क्षेत्र में मकान का स्वामित्व है, यदि हॉ, तो मकान का होलिडंग नं0 तथा वार्ड (स्थापन सं0 बतावें) –

21. मकान बनाने के प्रयोजन हेतु गृह निर्माण की राशि, यदि हो तो किस्त नं० तथा तिथि –
  22. वर्तमान निवास स्थान एवं पता –
  23. क्वार्टर टाईप (आवेदक स्पष्ट करें कि वह पात्रता के अनुसार कौन– सा क्वार्टर टाईप के लिए इच्छुक है ) –
- (i) टाईप I/II/III/IV/V :-  
(ii) परिसर (कार्यालय परिसर या आर ब्लॉक ):-

टिप्पणी:- क्वार्टर परिवर्तन के लिए नियमतः पृथक आवेदन देना चाहिए।

### घोषणा

मैं घोषणा करता /करती हूँ कि –

1. मैंने सरकारी आवासों (भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग) के आवंटन की नियमावली,2006 को पढ़ और समझ लिया हूँ ।
2. मेरे द्वारा दिए गए विवरण सही हैं तथा मुझे आवंटित किए जाने अथवा जो मुझे आवंटित हो चुका है, वह इन नियमों एवं पश्चात्वर्ती यदि कोई हो, के अधीन होंगे ।
3. मैं .....एतद् द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि मैं अपने कार्य स्थल (पटना) में पैतृक सहित किसी घर का मालिक नहीं हूँ अथवा पाश्वर्वर्ती म्यूनिसीपल क्षेत्र में मेरे अपने नाम से या मेरे पत्नी/पति के नाम से अथवा किसी अन्य आश्रित परिवार के सदस्य के नाम से मकान नहीं है ।
4. मेरे पत्नी/पति सेवायुक्त हैं/नहीं है ।
5. आवंटित क्वार्टर में मेरे द्वारा दूसरे किरायेदार नहीं रखे जायेंगे ।
6. मैं लाइसेंस फीस भुगतान का उत्तरदायी होउंगा/होउंगी तथा सम्पदा अधिकारी द्वारा आवंटित क्वार्टर का मेरी अस्वीकृति की दशा में रिक्त अवधि की क्षति के अतिरिक्त अन्य प्रकार की कार्रवाई का भागी होउंगा/होउंगी ।

हस्ताक्षर:-

पदनाम:-

अनुभाग-

कार्यालय:-

मोबाइल न० –

उपरोक्त सूचना कार्यालय अभिलेखों से मिलान किया गया है एवं सही पाया गया ।

व०ले०प०अ०/प्रशासन/स्थापना